

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0143 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/06/2025 18:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/09/1991 Date To (दिनांक तक): 03/03/2016

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:01 बजे Time To (समय तक): 18:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/06/2025 Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 06/06/2025 18:01:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): UDAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJEEV JOSHI

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 30/11/1967 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOHANLAL MUNDRA		पिता:HAJARI LAL MUNDRA	1. 56-B, VIDYADHAR NAGAR, SECTOR NO.04,,HIRANMAGARI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		52,63,561.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 52,63,561.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2016 को परिवादी श्री भगवान सोनी पुत्र श्री जमनालाल सोनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी 69 एकलिंगनाथ कॉलोनी, बीएसएनएल रोड सेक्टर 4, हिरणमगरी उदयपुर ने भ्र.नि. ब्यूरो एस.यू., उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर श्री हनुवन्त सिंह राजपुरोहित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इकाई (एस.यू.) उदयपुर के द्वारा रिश्तत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा द्वारा परिवादी से 1,80,000/- रुपये रिश्तत राशि की मांग करने की पुष्टि होने के पश्चात् ब्यूरो द्वारा दिनांक 20.02.2016 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री भगवान सोनी से उसके पैतृक मकान एवं दुकान के सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराने की एवज में आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने दलाल श्री लक्ष्मी लाल सोनी के साथ मिल षडयंत्र रचकर परिवादी से आरोपी श्री लक्ष्मीलाल सोनी द्वारा 1,80,000 रुपये रिश्तती राशि ग्रहण किये, मौके पर रिश्तत राशि बरामद की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा के रिहायशी आवास 56-बी, विद्याधर नगर, सेक्टर नम्बर 04, हिरणमगरी उदयपुर की दिनांक 20.02.2016 को खाना तलाशी ली गई, दिनांक 03.03.2016 को आरोपी के बैंक ऑफ बडौदा, हिरणमगरी, उदयपुर के बैंक लॉकर संख्या 60 एवं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सेवाश्रम, उदयपुर के बैंक लॉकर संख्या 155A की नियमानुसार तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। दौरान खाना तलाशी आरोपी एवं उसके परिवारजन के नाम से जारी बैंक खातों के विवरण, भूमि/प्लॉट के दस्तावेज, सोने-चांदी के जैवरात, आदि मिले। आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा के आयकर पेन नम्बर ABZPM4629H है। आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा व उसके परिवारजनों के नाम के बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया गया, सम्बंधित बैंक खातों का ट्रेप दिनांक तक जमा अन्तिम शेष राशि को आरोपी की सम्पत्ति पक्ष में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार जांच के दौरान मिली चल/अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजों के अनुसार उनकी कीमत आरोपी की सम्पत्ति पक्ष में सम्मिलित की गई है। आरोपी के वेतन भुगतान से सम्बंधित वेतन स्टेटमेन्ट प्राप्त किये गये, जिसके अनुसार आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा को अपने सेवाकाल के दौरान आलौच्य अवधि दिनांक 07.09.1991 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 20.02.2016 (कार्यवाही दिनांक) तक मिला कुल सकल वेतन में से समस्त कटौतिया व आयकर कटौती राशि घटाने के पश्चात् शुद्ध वेतन के रूप में प्राप्त राशि 38,25,592/- रुपये को आरोपी की आय पक्ष में सम्मिलित की गई है। प्रपत्र - अ आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.09.1991 से पूर्व अर्जित की गयी सम्पत्ति- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) - - - प्रपत्र - ब आरोपी श्री मोहनलाल मून्दडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर द्वारा बैंक अवधि दिनांक 07.09.1991 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 20.02.2016 (कार्यवाही दिनांक) तक अर्जित की गयी सम्पत्ति- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. रिहायशी आवास 56 बी विद्याधर नगर उदयपुर के निर्माण किये गये तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा आंकलित की राशि 30,06,977/- 2. भूखण्ड संख्या 40 के रूपान्तरण / नियमन आदि के लिए आरोपी द्वारा चुकाई राशि 69444 31230 16334 117008 रुपये व्यय किये गये 1,17,008/- 3. आरोपी के रहवासीय मकान 56 बी विधाननगर हिरण मगरी सेक्टर-4 उदयपुर का भूखण्ड खसरा संख्या 1279 से 1281,1284 से 1294,1296 से 1298 के अन्तर्गत आने से उक्त भूखण्ड की खरीद कीमत आरोपी द्वारा भूखण्ड विक्रय पत्र 27.03.1986 को कृषि भूमि आराजी नम्बर 177 रकबा 1/3 लगानी छः हजार रुपये में खरीदी गई उक्त कृषि भूमि का 90 बी करने पर नये खसरे संख्या 1278 से 1281,1284 से 1294,1296 से 1298 बनाये गये। भूखण्ड 40 का यूआईटी उदयपुर का संशोधित आंवटन पत्र 612 दिनांक 17.02.2004 जारी किया गया। जिसमे आरोपी द्वारा 31238 रुपये जमा करवाये। इस प्रकार उक्त भूखण्ड की कीमत 37238 रुपये हुवे 37,238/- 4. दिनांक 12.09.1996 को विक्रय इकरार श्री मांगीलाल द्वारा आराजी नम्बर 172,178 का 1/26 वा हिस्सा अर्थात लगभग 0.0270 हेक्टेयर कृषि भूमि है। जिस मे से 0.0200 हेक्टेयर भूमि को 30000/- रुपये मे आरोपी द्वारा क्रय की गई 30,000/- 5. विक्रय ईकरार के अनुसार आराजी संख्या 1287, 1288, 1289 कुल रकबा 0.2700 हेक्टेयर में से आरोपी द्वारा 1/26वां हिस्सा 2900 स्क्वायर फीट भूमि क्रय की गई जिसकी तत्समय प्रचलित डीएलसी दर अनुसार 17123 रुपये की राशि बनती है किन्तु विक्रय ईकरार में

अंकित राशी 125000 रुपये अधिक होने से यह राशी जोड़ी गई है 1,25,000/- 6. राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय क्रमांक अपील/ एलआर/ 123 (6094)/ 99/ उदयपुर दिनांक 26.05.2008 की पालना में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा एसओ की भूमि अवासि के बदले में खसरा नंबर 1434/2418 की 14979 वर्गफीट एवम 1664.33 वर्ग गज का नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 28.12.2008 को आवंटन किया गया जिसकी आवंटन राशि 252199 रुपये आरोपी द्वारा चालान संख्या 4461 दिनांक 09.01.2009 को नगर विकास न्यास उदयपुर में जमा करवाई गई 2,52,199/- 7. फर्द खाना तलाशी में आरोपी के आवास से मिली सामग्री की फर्द में अंकित कीमत अनुसार राशि 16,19,400/- 8. श्रीमती सोमना मुन्दडा के नाम से प्लॉट संख्या 6 एवं 7 मौजा ग्राम चिकलवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के पेटे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में मालियत के आधार पर खर्च की गई राशि 4,82,300/- 9. भूवाणा उदयपुर के आराजी संख्या 3609 रकबा 0.6800 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में मालियत के आधार पर खर्च की गई राशि 15,35,000/- 10. आराजी संख्या 3609 रकबा 0.6800 हेक्टेयर के पंजीयन हेतु आरोपी द्वारा व्यय किया गया 55,840/- 11. आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती सोमना के नाम बीओबी बैंक के संयुक्त खाता संख्या 30250300002310 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 15,368/- 12. आरोपी के एचयुएफ के नाम बीओबी बैंक के संयुक्त खाता संख्या 30250100003531 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 11,503/- 13. आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती सोमना के नाम बीओबी बैंक के संयुक्त खाता संख्या 30250100002246 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 27,883/- 14. आरोपी की पत्नी श्रीमती सोमना के नाम मरुधरा ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 11347072414 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 129/- 15. आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती सोमना के नाम द उदयपुर अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 786071001000556 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 12,914/- 16. आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती सोमना के नाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के संयुक्त खाता संख्या 1821825852 में दिनांक 20.02.2016 को उपलब्ध बैलेंस की राशि 4,073/- 17. आरोपी द्वारा वर्ष 2011-12 में द उदयपुर अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक से अकाउण्ट नंबर 193 में लिये गये ऋण राशी 3552000 पर चुकाई गई ब्याज की अन्तर राशि 4,19,633/- 18. आरोपी व उसकी पत्नी द्वारा द उदयपुर अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक से अकाउण्ट नंबर 786070354100252 से लिये गये ऋण 1425000 पर चुकाई गई ब्याज की अन्तर राशि 4,62,863/- 19. आरोपी द्वारा राजस्व गार्म उदयपुर शहर के खसरा नम्बर 1278 से 1281, 1284 से 1294, 1296 से भूखण्ड संख्या 66-सी क्षेत्रफल 257.83 (वर्ग गज) के आवंटन / नियमन हेतु जमा करवाई गई राशि 451397 रुपये व्यय किये गये 4,51,397/- 20. आरोपी द्वारा श्री योगेश जोशी को एक लाख रुपये उधार दिये जाने पर उक्त राशि को व्यय पक्ष में सम्मिलित की गई 1,00,000/- 21. सोने चांदी के आभूषणों पर व्यय मुल्यांकन अनुसार 11,80,534/- कुल योग 99,47,259/- प्रपत्र - स आरोपी श्री मोहनलाल मुंदडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर द्वारा चैक अवधि दिनांक 07.09.1991 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 20.02.2016 (कार्यवाही दिनांक) तक प्राप्त की गई आय- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपी की प्रथम नियुक्ति राज्य सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक दिनांक 07.09.1991 को हुई थी प्रथम नियुक्ति से ट्रेप दिनांक 20.02.2016 तक को चेक अवधि मानते हुए प्राप्त जीए-55 एवं आयकर विवरण प्रपत्र के अनुसार सकल वेतन में से कटौतियां होने के पश्चात शुद्ध वेतन के रूप में प्राप्त राशि एवं उक्त सेवा से पूर्व प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी उदयपुर पर वर्ष 1982-1983 में क्लर्क ग्रेड द्वितीय पर कार्यरत रहा जिस पर प्राप्त वेतन का योग एवं आयकर विवरण अनुसार उल्लेखित अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का योग 38,25,592/- 2. सन बीम प्रोग्रेसीव एज्युकेशन सोसायटी सन बीम स्कूल आयड में आरोपी की पत्नी श्रीमती सोमना मुन्दडा दिनांक 01.08.2004 से 30.04.2005 तक उक्त संस्था में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी उक्त अवधि का वेतन 24245 रुपये मिले 24,245/- 3. आरोपी श्री मोहनलाल के नाम द उदयपुर अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता संख्या 786071001000556 से प्राप्त होम लोन पेटे राशि 14,25,000/- 4. अविभाजित हिन्दु परिवार के रूप में विक्रय की गई सम्पत्ति से प्राप्त कुल राशि 20,50,000/- 5. जीपीएफ से प्राप्त लोन राशि 4,00,000/- कुल योग 77,24,837/- प्रपत्र - द आरोपी श्री मोहनलाल मुंदडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर द्वारा चैक अवधि दिनांक 07.09.1991 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 20.02.2016 (कार्यवाही दिनांक) तक में किया गया व्यय- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपी एवं उसकी पत्नी की आय में से आरोपी की आय अधिक प्राप्त होने से आरोपी की सकल आय 4199406 का 33 प्रतिशत असत्यापन योग्य व्यय की राशि 13,85,803/- 2. दोनों बच्चों की शिक्षा पर किया गया आरोपी के अनुसार अनुमानित व्यय की राशि 5,03,652/- 3. टीवीएस जुपिटर आरजे 27 डबल्यूएस 2824 की क्रय राशि 53819 एवं वक्त चेकिंग 854 किमी चली हुई पाई गई जिसके ईंधन पेटे अनुमानित राशि 1100 रुपये मरम्मत/ईश्वोरेन्स की व्यावहारिक गणना योग्य राशि 2000 का योग 56,919/- 4. टीवीएस स्टार सीटी आरजे 27 एस 2232 की क्रय राशि एवं वक्त चेकिंग 4216 किमी चली हुई पाई गई जिसके ईंधन पेटे अनुमानित राशि 3710 रुपये एवं मरम्मत/ईश्वोरेन्स की व्यावहारिक गणना योग्य राशि 15000 का योग 63,568/- 5. स्कूटी पेप प्लस आरजे 27 16 एम 5533 की क्रय राशि वक्त चेकिंग 9223 किमी चली हुई पाई गई जिसके ईंधन पेटे अनुमानित राशि 11690 एवं मरम्मत/ईश्वोरेन्स की व्यावहारिक गणना योग्य राशि 10000 का योग रुपये का योग 55,210/- 6. कार

अल्टो एलएक्स आरजे 27 सीबी 4874 की क्रय राशि 282435 वक्त चेकिंग 12854 किमी चली हुई पाई गई जिसके ईंधन पेटे अनुमानित राशि 35040 रुपये एवं मरम्मत/ईश्वोरेन्स की व्यावहारिक गणना योग्य राशि 30000 का योग 3,47,475/- 7. कार स्विफ्ट कार आरजे 27 सीबी 0878 की क्रय राशि 550512 जिसके ईंधन पेटे अनुमानित राशि 30000 रुपये एवं मरम्मत/ईश्वोरेन्स की व्यावहारिक गणना योग्य राशि 48000 का योग 6,28,512/- कुल योग 30,41,139/- इस प्रकार आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा को आलोच्य अवधि दिनांक 07.09.1991 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 20.02.2016 (कार्यवाही दिनांक) तक ज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय 77,24,837.00/- रुपये होकर अर्जित सम्पत्ति का मूल्य 99,47,259.00/- रुपये एवं व्यय राशि 30,41,139/- रुपये की पाई गई है। अतः सम्पत्ति तथा व्यय राशि का जोड़ 1,29,88,398/- रुपये को उपरोक्त कुल आय 77,24,837/- रुपये में से घटाने पर 52,63,561/- रुपये की राशि अधिक प्राप्त हुई है। आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर द्वारा राजकीय सेवा से प्राप्त आय से 68.00 प्रतिशत अधिक की परिसम्पत्तियां अर्जित करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा पुत्र श्री हजारी लाल मूंदडा उम्र 61 वर्ष, निवासी 56-बी, विद्याधर नगर, सेक्टर नम्बर 04, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर के द्वारा बैंक पीरियड के दौरान अपनी कुल वैध आय से अधिक की संपत्तियां अर्जित करना प्रमाणित है। आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा पुत्र श्री हजारी लाल मूंदडा उम्र 61 वर्ष, निवासी 56-बी, विद्याधर नगर, सेक्टर नम्बर 04, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय) राजीव जोशी(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आरोपी श्री मोहनलाल मूंदडा पुत्र श्री हजारी लाल मूंदडा उम्र 61 वर्ष, निवासी 56-बी, विद्याधर नगर, सेक्टर नम्बर 04, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिला उदयपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह परमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 683 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 834-37 दिनांक 06.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): VIKRAM SINGH Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): PARMAR (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/06/2025 18:05:51


15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/09/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनाना)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)